दिनांक -15.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 एक लोहे की राड बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 12.07.2026 को वादी श्री राकेश पुत्र सुरेशपाल निवासी ग्राम दांडी थामना थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 10/11.07.2026 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की बहन की हत्या कर देने की सूचना के सम्बंध मे थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 513/2026 धारा 103(1) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर दितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.07.2026 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए **03 वांछित अभियुक्तगण 1. रवि पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम निहालखेडी थाना देववंद जनपद सहारनपुर, 2. अंकित पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम कोटा भारापुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर व 3. अंकुर पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम कोटा भारापुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को जंगल ग्राम निहालखेडी से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे/निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक लोहे की राड बरामद हुई। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभि0गण 1. रवि, 2. अंकित व 3. अंकुर उपरोक्त से हत्या की घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो अभियुक्त रवि उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरे भाई का नाम अर्जुन था तथा उसकी पत्नी रीना है व उसके दो बच्चे एक लड़का सूर्य व एक लड़की अवनी है। मेरे भाई अर्जुन की मृत्यु चार-पांच वर्ष पूर्व हो चुकी है। अर्जुन की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति घर व जमीन सूर्य के नाम पर आ गयी थी, सूर्य की मृत्यु भी करीब 04-05 माह पूर्व हो चुकी है। मेरी भतीजी अवनी मेरी बहन के साथ उसके ससुराल में रहती है। मेरी भाभी रीना अपने हिस्से की सम्पत्ति घर व जमीन बेचकर कही और जाना चाहती थी, जब मैने मना किया तो मुझे उल्टा सीधा कहा और गालिया दी। मैने उसी दिन ठान लिया कि अगर मै अपनी भाभी की हत्या कर दू तो इसकी सारी सम्पत्ति पर मै कब्जा कर सकता हूँ, इस पर मै दिनांक 07.07.2026 को मै अपने रिस्तेदार की शादी में ग्राम कोठा भारापुर दावत में गया था वही मैने अपने भांजे अंकुर व अंकित को अपनी भाभी रीना की हत्या की योजना बतायी, इस पर उन दोनो ने भी सहमति जताई। इसके बाद दिनांक 10.07.2026 की रात लगभग 10 बजे मेरे दोनो भाजें अंकित व अंकुर रात मे अपने गांव कोटा भारापुर से मेरे गावं निहालखेड़ी आ गये इसके बाद हम तीनो रीना के घर में घुस गये और रीना अपने कमरे में सो रही थी हम तीनों चुपचाप उसके कमरे में घुसे गये और अपने साथ जो लोहे की रॉड लेकर आये थे उसी रॉड से हम तीनो ने रीना का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद हम तीनो ने अपने हाथो से भी रीना का गला दबा कर चैक किया कि वह मर गयी है। अभियुक्त अंकित व अंकुर ने भी

पूछताछ में अभियुक्त रवि के बयानो पर सहमति जताते हुए घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की और बताया कि मेरे मामा दिनांक 07.07.2026 को हमारे रिस्तेदार की शादी में ग्राम कोठा धारापुर थाना गागलहेड़ी दावत में आये थे तब उन्होने हमे इस योजना के बारे में बताया था और रीना की हत्या करने के बदले हमे 80,000/- रुपये देने की बात कही थी। रुपये के लालच में आकर हम दोनों भाई इस घटना में शामिल हो गये और दिनांक 10.07.2026 को ग्राम निहालखेड़ी थाना देवबंद पहुँचकर अपने मामा रवि के साथ मिलकर अपनी मामी रीना की हत्या कर दी और वहां से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. रवि पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम निहालखेडी थाना देवंवद जनपद सहारनपुर
2. अंकित पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम कोटा भारापुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. अंकुर पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम कोटा भारापुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- *घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल 01 एक लोहे की राड*

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त रवि)

1. मु.अ.स.513/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना देवबन्द सहारनपुर
2. मु.अ.स.793/2020 धारा 304 भा.द.वि. थाना देवबन्द सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम---

1. *प्रभारी निरीक्षक कपिल देव थाना देवबन्द सहारनपुर*
2. *निरीक्षक श्री गौरव त्यागी थाना देवबन्द सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर*
4. *है0का0 586 राजीव पंवार थाना देवबन्द सहारनपुर*
5. *है0का0 1319 अनुज सिरोही थाना देवबन्द सहारनपुर*
6. *है0का0 1349 संदीप चिकारा थाना देवबन्द सहारनपुर*
7. *है0का0 608 मोजिन्दर राणा थाना देवबन्द सहारनपुर*
8. *का0 16 पवन कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर*
9. *रि0का0 673 अनुज कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर*
10. *रि0का0 209 हरवीर सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक-15.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार व थाना साइबर क्राइम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा PERFECT RISHTEY PROPRIETOR के नाम से ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर शादी के रिश्ते बताने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 01 शातिर अभियुक्त हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

- रशीद
- पैम्पलेट
- 03 चैकबुक
- 02 मोहर FOR PERFECT RISHTEY PROPRIETOR
- 16 मोबाईल नोकिया कम्पनी कीपैड
- 03 एंड्राइड मोबाइल फोन
- 01 लैपटॉप
- 09 मॉनिटर स्क्रीन
- 09 की-बोर्ड
- 07 माऊस
- 07 CPU
- 01 बायोमैट्रिक डिवाईस
- 02 HDFC का QR CODE
- 01 JIO कम्पनी का WI-FI डिवाइस
- टेलीफोन LANDLINE 01
- 11 चार्जर नोकिया कम्पनी
- 01 प्रिन्टर
- 02 एक्सेटशन बोर्ड

घटना का विवरणः- दिनांक 13.07.2026 को साईबर अभियान के अन्तर्गत उ0नि0 सचिन पुनिया थाना साइबर क्राइम द्वारा साइबर क्राइम पुलिस टीम के साथ कोर्ट रोड पर गिल कालोनी 12 खम्बा मकान पर शादी के रिश्तो के नाम पर वेबसाइट के माध्यम से धोखाधड़ी कर ठगी की सूचना पर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय को अवगत कराते हुये अनुमति प्राप्त कर मकान के अन्दर प्रवेश किया तो मकान की दूसरी मंजील पर जाकर देखा जहाँ पर कम्प्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, मोबाईल आदि पर कुछ लडकिया लोगो से शादी के रिश्ते के सम्बन्ध मे वार्तालाप कर रही थी रिश्ते/शादी का लालच देकर लोगो से ठगी करते थे। सूचना पर दिनांक 14.07.2026 को तीन लडकियो को हिरासत मे लिया गया था जिन्हे धारा 35(3) बीएनएसएस के अन्तर्गत मौके से परिजनो के सुपुर्द कर दिया गया तथा उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार की फर्द

बरामदगी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 348/26 धारा 318(4)/319(2)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस व धारा 66 डी आईटी एक्ट के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व वांछित/शातिर साइबर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.07.2026 को थाना सदर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में* ***वांछित अभियुक्त सूरज मरावी पुत्र नारायण नि0 ग्राम पीथमपुर गौरा लोरमी थाना मुगेली छत्तीसगढ*** *को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।*

पूछताछ का विवरण:- *अभियुक्त सूरज मरावी उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरे ही गांव के सन्दीप ने PERFECT RISHTEY PROPRIETOR के नाम से ऑनलाइन एक वेबसाइट बना रखी है जिसमे हमारे कार्यालय मे करीब 8 – 9 लडकिया भी काम करती है हम लोग शादी के नाम पर लडकियो से फोन कराते है और जब कोई ग्राहक बातो मे आ जाता है तो उससे उसकी डिटेल मागते है और आनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा ट्रांसफर करा लेते है। जब कोई व्यक्ति लडकी का फोटो मागता है और लडकी से बात करना चाहता है तो हमारे यहाँ पर जो लडकिया काम करती है हम उनसे बात करा देते है, जब वो फोटो मांगता है तो गुगल से फोटो डाऊनलोड़ कर ग्राहक को फोटो भेज देते थे और पैसे आने के बाद उसका नम्बर ब्लॉक कर देते थे। इस काम के लिये हर लडकी को एक छोटा की-पैड मोबाइल दिये रखते थे तथा लैपटॉप व मोबाइल फोन के जरिये हम लोगो के नम्बर प्राप्त करके लडकियो को देते थे।*

अभियुक्त का नाम व पताः–

सूरज मरावी पुत्र नारायण निवासी ग्राम पीथमपुर गौरा लोरमी थाना मुगेली छत्तीसगढ

बरामदगी विवरण

रशीद, पैम्पलेट, 3 चैकबुक, 02 मोहर FOR PERFECT RISHTEY PROPRIETOR, 16 नोकिया के मोबाइल फोन की-पैड, 03 एंड्राइड मोबाइल फोन (जिनमे 02 रैडमी कम्पनी 01 TECNO SPARK कम्पनी), 01 लैपटॉप, 09 मॉनिटर स्क्रीन, 09 की-बोर्ड, 07 माऊस, 07 CPU, 01 बायोमैट्रिक डिवाईस, 02 HDFC का QR CODE, 01 JIO कम्पनी का WI-FI डिवाइस, टेलीफोन LANDLINE 01, 11 चार्जर नोकिया कम्पनी, 01 प्रिन्टर व 02 एक्सेटेशन बोर्ड

पुलिस टीम का विवरण –

1. *निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*
2. *निरीक्षक श्री आनन्द कुमार पोसवाल थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*
4. *उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*
5. *उ0नि0 श्री सचिन पुनिया* ***थाना साईबर*** *थाना जनपद सहारनपुर*
6. *उ0नि0 श्री आशिष चौधरी* ***थाना साईबर*** *थाना जनपद सहारनपुर*
7. *है0का0 1141 रोहित कुमार* ***थाना साईबर*** *थाना जनपद सहारनपुर*
8. *है0का0 907 नितिन शर्मा* ***थाना साईबर*** *थाना जनपद सहारनपुर*
9. *है0का0 525 हरिओम थाना साईबर थाना जनपद सहारनपुर*
10. *है0का0 881 धीरज कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक -15.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये 13,640/- रुपये व 01 मोटर साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 04.07.2026 को वादी राकेश कुमार पुत्र श्री निर्भयराम मौ0 सरावज्ञान थाना नानौता जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की दुकान के गल्ले मे रखे 70,000 रुपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 159/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.07.2026 की रात्रि मे थाना नानौता पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 02 शातिर चोर अभियुक्तगण ***1.वाजिद पुत्र उस्मान निवासी ग्राम सिरसला खेडा अफगान थाना नकुड जनपद सहारनपुर 2.शारिक पुत्र इमरान निवासी मौ0 छिपियान खेडा अफगान थाना नकुड जनपद सहारनपुर*** *को सल्फर रोड नानौता से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये रुपयो में से 13,640/- रुपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदाम उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अभियुक्तगण को विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हमने करीब 10 दिन पहले कस्बा नानौता में मुख्य बाजार से रजत बैकरी वाले के पास परचून की दुकान के गल्ले से 25000/- रूपयें चोरी कर लिये थे। हम मो0सा0 रजि0 नं0 UP11CV7489 से घूम फिरकर पहले रैकी करते है तथा बाद मे घटना करते है जिसमे से हमने कुछ पैसे खर्च कर दिये जो रूपये बचे थे वह हमसे पुलिस ने बरामद कर लिये है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. वाजिद पुत्र उस्मान निवासी ग्राम सिरसला खेडा अफगान थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. शारिक पुत्र इमरान निवासी मौ0 छिपियान खेडा अफगान थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- कुल 13640/- रुपये (चोरी किये गये)
- 01 मोटर साइकिल सुपर स्पेलन्डर रजि0 नं0 UP11CV7489 (घटना मे प्रयुक्त)

अभियुक्त वाजिद का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 341/2020 धारा 380, 411 भादवि थाना कोत0 देहात , जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 350/2020 धारा 414 भादवि थाना कोत0 देहात, जनपद सहारनपुर

3. मु0अ0सं0 448/2021 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट, थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 706/2017 धारा 380,411,414,454 भादवि थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 708/2017 धारा 380,411,414,454 भादवि थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 372/2018 धारा 380,411 भादवि थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 159/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शारिक का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 706/2017 धारा 380,411,414,454 भादवि थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 708/2017 धारा 380,411, ,454 भादवि थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 377/18 धारा 4,25 आयुध अधि0 थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 372/18 धारा 380,411 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0स0 21/20 धारा 380,411,457 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0स0 24/20 धारा 380,511 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0स0 341/20 धारा 380,411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0स0 350/20 धारा 414 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0स0 379/20 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना नकुड जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 448/2021 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कोत0 देहात , जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0स0 263/23 धारा 392,411,34,120 बी भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
12. मु0अ0स0 374/23 धारा 2/3 गौगस्टर एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 159/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 जसपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 106 विक्रान्त मान मय थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. का0 2032 सचिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. रि0का0 1714 अकरम थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांक:15.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया गैस सिलेण्डर बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 14.07.2026 को वादी श्री मौ0 उजैर पुत्र श्री मौ0 नासिर निवासी अली की चुंगी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल निवासी इमाम जामा मस्जिद ग्राम पटना उर्फ नयाबाँस थाना चिलकाना सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अब्दुल रहमान पुत्र महमूद हसन निवासी मौ0 गढी कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर द्वारा जामा मस्जिद में घुसकर जामा मस्जिद से एक गैस सिलेण्डर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 235/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतू आदेशित किया गया था आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 15.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वान्छित अभियुक्त ***अब्दुल रहमान पुत्र महमूद हसन निवासी मौ0 गढी कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*** *को सुल्तानपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया 01 गैस सिलेण्डर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अब्दुल रहमान पुत्र महमूद हसन निवासी मौ0 गढी कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- *01 गैस सिलेण्डर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1- *उ0नि0 श्री अंकुर चौधरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
2- *का0 1805 नितिन कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
3- *का0 1700 दीपक कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
4- *का0 1811 अमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*

दिनांक-15.07.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही □

□ थाना नकुड पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 32 ग्राम अवैध स्मैक बरामद □

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में ***"ऑपरेशन सवेरा"*** *–* ***"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"*** *अभियान चलाया जा रहा है।*

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.07.2026 को चौकी अम्बेहटापीर प्रभारी उ0नि0 श्री तपन जयन्त द्वारा पुलिस टीम के साथ चैकिंग के दौरान अभियुक्त **मोहसिन पुत्र इकबाल निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर** *को अम्बेहटा गंगोह रोड से ग्राम अम्बेहटी जाने वाले रास्ते पर बनी टयूबेल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 32 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 374/26 धारा 8/21 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोहसिन पुत्र इकबाल निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- *32 ग्राम अवैध स्मैक*

अभियुक्त मोहसिन का आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 344/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री तपन जयन्त थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 650 वरणकार सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*
4. *है0का0 258 अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*
5. *है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*

दिनांक: 15.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा "ऑपरेशन मुस्कान" के तहत मात्र 03 घण्टे में 10 वर्षीय गुमशुदा बच्ची को बरामद कर सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया

विवरणः-

आज दिनांक 15.07.2026 को समय करीब सुबह 09.00 बजे थाना गागलहेडी पर सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची उम्र करीब 10 वर्ष कस्बा कैलाशपुर में लावारिस हालत मे घुमती हुई मिली है। इस सूचना पर थाना हाजा द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए काफी प्रयास के उपरान्त थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा बच्ची पूजा पुत्री संदीप निवासी सरस्वती बिहार कॉलोनी कस्बा व थाना गागलहेडी सहारनपुर के परिजन की तलाश कर बच्ची को उसके परिजनों से मिलवाया गया।

कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर *के निर्देशन में अभियान* ***"ऑपरेशन मुस्कान"*** *के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकार सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेड़ी पुलिस व मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम द्वारा मात्र 03 घण्टे में 10 वर्षीय गुमशुदा पूजा को थाना क्षेत्र गागलहेड़ी से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।*

बरामद करने वाली पुलिस टीम -

1. *म0उ0नि0 रश्मि कुमारी थाना गागलहेडी सहारनपुर।*
2. *म0है0का0 164 नीतू चौधरी थाना गागलहेडी सहारनपुर।*
3. *म0का0 1089 शशीबाला थाना गागलहेडी सहारनपुर।*

दिनांकः 15.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 15.07.2026 को ***02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. सलमान पुत्र रिजवान निवासी नईबस्ती गली न0-4 थाना को0नगर सहारनपुर*** *को संबंधित वाद सं0–650/19 व मु0अ0स0 232/18 धारा–135 विद्युत अधिनियम चालानी थाना कोतवाली नगर नियत दिनांक 15.07.2026 (माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष न0-4 सहारनपुर) में नई बस्ती से व* ***2. ईनाम पुत्र शौकत अली निवासी मौ0 खुमरो एसडी इन्टर कालेज के सामने मालीगेट थाना को0नगर सहारनपुर*** *को संबंधित वाद सं0–7331/26 व मु0अ0स0 242/15 धारा–452/504/506 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर नियत दिनांक 28.02.26 (माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष न0-4 सहारनपुर) में मौ0 खुमरो एसडी इन्टर कालेज के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. *सलमान पुत्र रिजवान निवासी नईबस्ती गली न0-4 थाना को0नगर सहारनपुर*
2. *ईनाम पुत्र शौकत अली निवासी मौ0 खुमरो एसडी इन्टर कालेज के सामने मालीगेट थाना को0नगर सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री राजकुमार गौतम कोतवाली नगर जिला सहारनपुर*
2. *है0का0 356 नीरज कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर*
3. *रि0का0 1315 देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर*

दिनांक: 15.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से फायरिंग की घटना के अभियोग मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *दिनांक 01.05.2026 को वादी श्री आसरीन पुत्र मतलूब निवासी ग्राम धलापड़ा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने व गाली गलौच करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0स0 221/26 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/352/351(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे जान से मारने की नियत से फायरिंग की घटना में* ***वांछित अभियुक्त साजेब उर्फ शाहजेब पुत्र नदीम उर्फ तोती निवासी मौहल्ला नागान कस्बा अम्बेटापीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर*** *को मौ0 नागान कस्बा अम्बेटापीर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

साजेब उर्फ शाहजेब पुत्र नदीम उर्फ तोती नि0 मौहल्ला नागान कस्बा अम्बेटापीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *उ0नि0 श्री बिलेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
2. *रि0का0 942 नितिन कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

दिनांक 15.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा गैंगस्टर के मुकदमें में अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 01.03.2007 को वादी उ0नि0 श्री प्रहलाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त 1. मान सिंह पुत्र हरिराम, 2. सतेन्द्र पुत्र रामसिंह उर्फ सिंगा निवासी मौ0 नया बांस कस्बा अम्बेहटा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा अपने साथियों के साथ संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अध्याय 16 व 17 में वर्णित अपराध कारित कर जनता में भय व्याप्त करने की सूचना पर मु0अ0स0-48/2007 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया । उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-18/2007 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा* ***आज दिनांक 15.07.2026 को अभियुक्त मान सिंह पुत्र हरिराम नि0 मौ0 नया बांस कस्बा अम्बेहटा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर उपरोक्त को मु0अ0स0-48/2007 धारा 2/3 गैग0 एक्ट में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

नोटः- अभियुक्त सतेन्द्र की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध प्रस्तुत वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी है । (वाद के दौरान मृत्यु)

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सिंह चौहान ।
विवेचक निरीक्षक श्री सैय्यद लईक हसन
पैरोकार-का0 1974 देवेन्द्र थाना नकुड़ सहारनपुर ।